न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 50/18 तारीख रजू:– 01.05.18

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. विजय कुमार पुत्र श्री हरिनारायण जाति महाजन निवासी बालघाट तहसील टोडाभीम

वादी

बनाम

1. ग्राम पंचायत बालघाट जरिए सरपंच ग्राम पंचायत बालघाट।
2. ग्राम पंचायत बालघाट जरिए सचिव ग्राम पंचायत बालघाट।
3. हरीश पुत्र श्रीचन्द जाति मीना निवासी पाडली तहसील टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (वादी)

निर्णय **दिनांकः– 11.09.19**

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बालघाट की आराजी ख0न0 648 रकवा 0.18 है0 669 रकवा 0.37 है0 किस्म चरागाह का प्रतिवादीगण ग्राम पंचायत बालघाट का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। ख0न0 648 चरागाह के नीचे दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ वादी की कब्जे और खातेदारी की भूमि ख0न0 649 रकवा 0.56 है0 ग्राम बालघाट मे है वादी की आराजी मे आने–जाने का रास्ता ख0न0 648 चरागाह मे होकर जाता है। तथा ख0न0 648 जो कि मौके पर चरागाह है, मे ग्राम बालघाट के मवेशी चरते है तथा ख0न0 648 टोडाभीम हिण्डौन रोड के लगवा होने के कारण ख0न0 648 की करीब 50 फिट जमीन सडके मे चली गई और मौके पर उक्त आराजी सडक के सहारे होने के कारण प्रतिवादी न0 3 जो कि ग्राम पंचायत बालघाट के सरपंच महिला प्रकाशी देवी का पति होने के कारण उक्त चरागाह जमीन मे स्वंय पुख्ता निर्माण करना चाहता है। आराजी ख0न0 648 किस्म चरागाह के मालिक राज्य सरकार होती है जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच चरागाह जमीन पर अपने पति प्रतिवादी न0 3 के सहयोग से सरपंच होने का नाजायज फायदा उठाकर ग्राम पंचायत ने उक्त चरागाह भूमि को आबादी मे परिवर्तित करने का प्रस्ताव पारित करवा कर रिकार्ड मे चरागाह को समाप्त करवाना चाहते है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनन अधिकार नही है। बॉका दिनांक 30.04.2018 का है वादी जब अपनी उक्त आराजी ख0न0 649 की जुताई करने हेतु टेक्टर लेकर जा रहा था तो मौके पर प्रतिवादीगण नम्बर 3 मिले और ख0न0 648 मे पुख्ता निर्माण करने के उद्देश्य से रास्ते को बन्द कर नीव खुदवाने लगे तो वादी ने प्रतिवादीगण से मना किया किन्तु प्रतिवादी न0 1 व 3 बोले कि उक्त चरागाह जमीन सडक के किनारे होने से हम सरपंच होने के कारण पुख्ता दुकानो का निर्माण करेगे यदि तुम्हारा रास्ता बन्द हो जाये तो हमारा कोई लेना–देना

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

नही है। वादी ने कहा कि यह जमीन तो चरागाह सरकार की है ग्राम पंचायत की जमीन नही है। जो तुम कब्जा कर दुकानो का पुख्ता निर्माण कर लोगे। प्रतिवादी न0 1 ने कहा कि मै यहॉ की सरपंच हूँ मेने पास मे स्थित चरागाह जमीन ख0न0 646 मे भी पुख्ता निर्माण हेतु लोगो से पैसा लेकर पट्टा जारी कर दिया है। इसलिये मे यहॉ पर दुकानो का निर्माण करूगी। वादी ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया परन्तु वह मानने को तैयार नही हुए।

इस प्रकार यदि प्रतिवादीगण द्वारा चरागाह जमीन ख0न0 648 मे पुख्ता दुकानो का निर्माण कर लिया तो वादी का अपने खेत मे जाने का रास्ता बन्द हो जायेगा। जिसकी क्षति पूर्ति टर्म्स आफ मनी भी संभव नही हो सकेगी इस कारण से यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह है कि दावा हाजा ग्राम पचांयत बालघाट के विरूद्व पेश किया जा रहा है जिनके विरूद्व दावा लाने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है चुकि दावा अर्जेन्ट मेटर का है। जिसमे चाही गई रिलीफ इमीजियेट रिलीफ है। यदि वादी 2 माह का नोटिस देते, नोटिस की अवधि समाप्त होने पर दावा लाता तो उसका वादपत्र पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जाता और अपूर्तनीय क्षति हो जाती इस कारण यह दावा माननीय अदालत की आज्ञा से धारा 80 (2) जा0दी0 के तहत पेश किया जा रहा है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम बालघाट स्थित आराजी ख0न0 648 रकवा 0.18 है0 किस्म चरागाह मे किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण करे नाही किसी अन्य से करावे। तथा ख0न0 648 मे होकर जाने वाला रास्ता जो वादी की भूमि ख0न0 649 को जाता है मे पुख्ता निर्माण को कर अवरूद्व नही करे। नाही ख0न0 648 को स्वंय के उपयोग उपभोग मे लेवे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1 व 3 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए इसलिए इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 2 दिनांक 13.3.2019 को उपस्थित हुए थे। किन्तु आगामी सुनवाई तिथी 11.4.19 को उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्व भी एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण मे वादी वकील की सीधे बहस सुनी गई वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वादी के खातेदारी की आराजी मे आने–जाने मे प्रयुक्त हो रही आराजी ख0न0 648 चरागाह भूमि के रास्ते को बन्द नही करे और नाही किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण करे। दावा वादी डिक्री करने का कथन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 मे वर्णित आराजी

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

ख0न0 648 रकवा 0.18 एवं 669 रकवा 0.37 की किस्म चरनौट (चरागाह) दर्ज है। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ सलग्न नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। नक्शा ट्रेस के अनुसार टोडाभीम हिण्डौन की सडक ख0न0 685 है सडक के लगवा चरागाह के ख0न0 648 एवं 669 है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 464 मे वर्णित आराजीतया ख0न0 649 रकवा 0.56 है0 मे वादी हिस्सा 7/12 का खातेदार काश्तकार है। सलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार आराजी ख0न0 649 का एक कोना सीधे हिण्डौन टोडाभीम की सडक के ख0न0 685 पर लगा हुआ है। इस प्रकार यह नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि वादी को अपनी आराजी पर आने–जाने के लिए सडक से सीधा रास्ता है। चरागाह किस्म की भूमि का मालिक ग्राम पंचायत नही होकर लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) होता है जिन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। ग्राम पंचायत तो चरागाह भूमि का उचित रख–रखाव के लिए कस्टोडियन होती है। ग्राम पंचायत द्वारा निजी उपयोग हेतु चरागाह भूमि मे पक्का निर्माण नही किया जा सकता है। ग्रम पंचायत चरागाह भूमि के विकास हेतु खाई, फेन्सिंग, सुरक्षा दीवार एवं वृक्षारोपण का कार्य कर सकती है। अतः उक्त समस्त तथ्यो के आलोक मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे ग्राम पंचायत बालघाट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही पाता हूँ।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बावत स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. विजय कुमार पुत्र श्री हरिनारायण जाति महाजन निवासी बालघाट तहसील टोडाभीम

वादी

बनाम

1. ग्राम पंचायत बालघाट जरिए सरपंच ग्राम पंचायत बालघाट।
2. ग्राम पंचायत बालघाट जरिए सचिव ग्राम पंचायत बालघाट।
3. हरीश पुत्र श्रीचन्द जाति मीना निवासी पाडली तहसील टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 50 / 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट व हाजरी श्री ..... मिनकानिब गुदई रूबरू.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बावत स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.09.2019 को जारी की गई।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

दस्तखत.....

.....

ओहदा.....

.....

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					